[1][Rule 97A : Manual filing and processing

Notwithstanding anything contained in this Chapter, in respect of any process or procedure prescribed herein, any reference to electronic filing of an application, intimation, reply, declaration, statement or electronic issuance of a notice, order or certificate on the common portal shall, in respect of that process or procedure, include manual filing of the said application, intimation, reply, declaration, statement or issuance of the said notice, order or certificate in such Forms as appended to these rules.]

---

1 Rule 97A inserted by Noti. No. 55/2017–Central Tax, dt. 15-11-2017 w.e.f. 15-11-2017.

[1][नियम 97कः मैनुअल रूप से फाइल किया जाना और प्रक्रमण

इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इसमें विहित किसी कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में, सामान्य पोर्टल पर किसी आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के इलैक्ट्रानिक रूप से फाइल किए जाने, या किसी सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए जाने के प्रति कोई निर्देश, उक्त आवेदन, संसूचना, उत्तर, घोषणा, कथन के मैनुअल रूप से फाइल किए जाने या उक्त सूचना, आदेश या प्रमाणपत्र के ऐसे प्रारूप में, जो इन नियमों से संलग्न है, जारी किए जाने सहित उस कार्रवाई या प्रक्रिया के संबंध में होगा।]

---

1 अधिसूचना क्रमांक 55/2017–केन्द्रीय कर, दिनांक 15.11.2017 द्वारा नियम 97क अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 15.11.2017)।